



Neutral Citation No. - 2026:AHC:29288

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 846/2026

राजेश कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: लवलेश कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री लवलेश कुमार शुक्ला और विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए।
2. इस न्यायालय ने 2 फरवरी, 2026 को रिट याचिका पर विचार किया था और निर्देश मांगे थे। आज, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर के हस्ताक्षर युक्त निर्देश दिनांक 4 फरवरी, 2026 प्रस्तुत किए गए हैं, जो अभिलेख पर उपलब्ध हैं। विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा यह कथन किया गया है कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं और वह मामले में बहस करने की स्थिति में हैं, लेकिन कोई शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका को इसी स्तर पर निर्णीत किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह वर्तमान में जुलाई 2022 से ब्लॉक भानवापुर में खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत है और उसे ब्लॉक इटवा, जिला सिद्धार्थनगर का अतिरिक्त प्रभार भी प्रदान किया गया है। हालांकि, 18.12.2025 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता का सत्र के मध्य में ब्लॉक भानवापुर, जिला सिद्धार्थनगर से ब्लॉक जोगिया, जिला सिद्धार्थनगर में स्थानांतरण कर दिया गया। इस आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश एक क्षण के लिए भी कायम नहीं रखा जा सकता। इस तर्क को विस्तार देते हुए यह दलील दी गई है कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के इशारे और आदेश पर पारित किया गया है, जिन्होंने 16.11.2025 के एक आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के स्थानांतरण का निर्देश दिया था। तर्क यह है कि जिला मजिस्ट्रेट विभाग के लिए एक बाहरी प्राधिकारी हैं और उनके पास कानून के तहत रिट याचिकाकर्ता के स्थानांतरण के लिए

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



निर्देश देने या आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के शिक्षा विभाग में।

5. आगे यह तर्क दिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता का स्थानांतरण सत्र के मध्य में किया गया है, जो स्थानांतरण नीति दिनांक 06.05.2025 के प्रावधानों का उल्लंघन है। स्थानांतरण नीति दिनांक 06.05.2025 के खंड-3 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसके अनुसार यदि स्थानांतरण आदेश सत्र के मध्य में उसमें निर्धारित समय सीमा के बाद पारित किया जाता है, तो मंत्री का अनुमोदन आवश्यक होता है। यह भी तर्क दिया गया है कि स्थानांतरण नीति का खंड-9 स्वयं एक तंत्र और निर्देशों का प्रावधान करता है जिनका पालन किसी पदधारी के स्थानांतरण के दौरान किया जाना चाहिए, और उनके अनुसार, स्थानांतरण मेरिट के आधार पर पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए।
6. रिट याचिका के पैराग्राफ-19 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार ने स्थानांतरणों में पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-2026 के लिए स्थानांतरण नीति जारी की थी। हालांकि, आक्षेपित आदेश बिना मेरिट सूची तैयार किए पारित किया गया है और याचिकाकर्ता की सेवाओं को तीन साल के भीतर लगभग 40 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है।
7. यह आगे तर्क दिया गया है कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दंडात्मक तरीके से पारित किया गया है और रिट याचिकाकर्ता का पहले भी कई बार स्थानांतरण किया जा चुका है, जैसे कि जब उन्हें वर्ष 2006 में जिला बस्ती में खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, उसके बाद वर्ष 2017 में उनका स्थानांतरण श्रावस्ती में हुआ, पुनः वर्ष 2019 में बलरामपुर और तत्पश्चात जिला सिद्धार्थनगर में। इस संबंध में रिट-ए संख्या 19833/2024, संतोष कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, दिनांक 12.12.2024 को निर्णीत, में पारित अंतरिम आदेश पर भी भरोसा जताया गया है।
8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी(गण) की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने उन्हें प्राप्त निर्देशों के आधार पर तर्क दिया कि स्थानांतरण आदेश कानून के अनुसार पूरी तरह वैध है और उनके अनुसार, स्थानांतरण आदेश जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश दिनांक 16.11.2025 के आधार पर पारित किया गया है, जो शासनादेश दिनांक 23.11.2020 के आलोक में सिफारिश करने के लिए सशक्त हैं।
9. प्रत्युत्तर में, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि प्रत्यर्थी(गण) का यह मामला हो सकता है कि जिला मजिस्ट्रेट स्थानांतरण के लिए सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन वह एक जिले से दूसरे जिले या एक मंडल से दूसरे मंडल में स्थानांतरण की सिफारिश कर सकते हैं, न कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में।
10. मैंने अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों को सुना है और मामले के अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।
11. प्रत्यक्षतः, रिट याचिकाकर्ता का स्थानांतरण 18.12.2025 को खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक भानवापुर के पद से ब्लॉक जोगिया में किया गया है।
12. स्थानांतरण आदेश के अवलोकन मात्र से यह प्रकट होता है कि इसे जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश दिनांक 16.11.2025 के अनुमोदन के आधार पर पारित किया गया है। शासनादेश दिनांक 23.11.2020 स्वयं स्थानांतरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश या अनुमोदन का

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रावधान करता है। जब शासनादेश स्वयं इसका प्रावधान करता है, और निर्देशों के साथ अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि रिट याचिकाकर्ता के स्थानांतरण की सिफारिश वाली एक नोट शीट तैयार की गई थी जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर के हस्ताक्षर हैं और जिला मजिस्ट्रेट का अनुमोदन भी है, जो शासनादेश दिनांक 23.11.2020 के अनुरूप है, तो ऐसी परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि जिला मजिस्ट्रेट उक्त शक्ति से वंचित हैं।

13. मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, रिट याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया यह तर्क कि उसे एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, जबकि उसे एक जिले से दूसरे जिले या एक मंडल से दूसरे मंडल में स्थानांतरित किया जा सकता था, असंगत है। विशेष रूप से तब, जब एक बार स्थानांतरण किया जाना हो, तो वह स्पष्ट रूप से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक या एक जिले से दूसरे जिले आदि में किया जा सकता है।
14. इसके अतिरिक्त, यह तर्क कि संबंधित मंत्री का कोई अनुमोदन नहीं लिया गया है, वह भी स्वीकार्य नहीं है और विश्वसनीय नहीं है, विशेष रूप से तब जब शासनादेश दिनांक 06.05.2025 एक सामान्य स्थानांतरण नीति है। हालांकि, शासनादेश दिनांक 23.11.2020 जिला बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित एक विशेष स्थानांतरण नीति है। अतः, जिला मजिस्ट्रेट का अनुमोदन और सहमति पर्याप्त होगी।
15. यद्यपि रिट याचिकाकर्ता का यह मामला है कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दंडात्मक तरीके से पारित किया गया है, विशेष रूप से तब जब रिट याचिकाकर्ता के स्थानांतरणों की एक श्रृंखला रही है, लेकिन न्यायालय की राय में, रिट याचिकाकर्ता का स्थानांतरण करते समय अधिकारियों के स्तर पर विचार किया गया है। इसके अलावा, रिट याचिकाकर्ता 2022 से सिद्धार्थनगर में कार्यरत है और दिनांक 13.11.2025/16.11.2025 की नोट शीट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रिट याचिकाकर्ता की सेवाओं की आवश्यकता स्थानांतरित स्थान पर थी, विशेष रूप से तब जब एक कमला प्रसाद 31.12.2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
16. मामला जो भी हो, न्यायालय वर्तमान मामले को हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाता है, विशेष रूप से तब जब रिट याचिकाकर्ता को ब्लॉक भानवापुर (ब्लॉक इटवा का अतिरिक्त प्रभार) से ब्लॉक-जोगिया स्थानांतरित किया जा रहा है।
17. तदनुसार, रिट याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार किया जाता है; रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
18. यदि रिट याचिकाकर्ता की कोई शिकायत है, तो स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात, वह प्रत्यावेदन दे सकता है।

(माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

वीरेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"